राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

पत्रांकः– बी.एस.यू.(रेगुलेशन)–05 / 2010– 1151 / रा.स.(I), दिनांक– 12/07/2024

प्रेषक,

बालेन्द्र शुक्ला
विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक)

सेवा में,

कुलपति
बिहार के सभी विश्वविद्यालय ।

विषयः– विश्वविद्यालय स्तर पर पीएच.डी. पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु पीएच.डी. पात्रता परीक्षा (**Ph.D. Admission Test 2023**) आयोजित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कुलपति, तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर एवं कुलपति, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना से प्राप्त क्रमशः पत्रांक–1642 /VC/24 दिनांक–02.05.2024 एवं पत्रांक–588 / पी.पी.यू / वी.सी. / 24 दिनांक–05.06.2024 के संदर्भ में सूचित करना है कि उक्त विश्वविद्यालयों से प्राप्त विषयांकित प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय परामर्शी समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्न निदेश देने की कृपा की गयी हैः–

प्रवेश की प्रक्रिया–

(1) प्रवेश, यूजीसी और अन्य संबंधित वैधानिक / नियामक निकायों द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों / मानदंडों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आरक्षण नीति का पालन करते हुए, संस्थान द्वारा अधिसूचित मानदंडो पर आधारित होगा।

(2) प्रत्येक विषय में उपलब्ध रिक्त पी.एच.डी सीटों पर (रोस्टर लागू करके) 50 % सीटें यूजीसी–नेट / यूजीसी–सीएसआईआर नेट / गेट / सीईईडी के लिए आरक्षित होगा तथा शेष 50 % सीटों को प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने स्तर पर पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरेंगे।

यदि किसी विषय विशेष में यूजीसी–नेट / यूजीसी–सीएसआईआर नेट / गेट / सीईईडी अर्हता के छात्र उपलब्ध नही होते हैं तो इस श्रेणी के रिक्त सीटों को पी.एच.डी प्रवेश परीक्षा के मेधा सूची के आधार पर आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए भरा जाएगा।

विश्वासभाजन,

B. Shukla

(बालेन्द्र शुक्ला)
विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक)